(816)

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

संख्या 2535 /तिथि 16.10.15

अधिसूचना

राज्य के अभियंत्रण शिक्षण संस्थानों/निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिए नियमावलीः—

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 की परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है—

झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2013 (संशोधित 2015)

खण्ड—I

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

(i) यह नियमावली 'झारखण्ड तकनीकी अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2013, (संशोधित 2015)' कही जाएगी।

(ii) यह उस तिथि से प्रवृत होगी जो राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(iii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

815

2. परिभाषाएँ :—

इस नियमावली के अन्तर्गत या संदर्भ में जब तक कोई बात विरुद्ध न हो—

(i) **'नियुक्ति प्राधिकार'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार।

(ii) **'आयोग'** से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग।

(iii) **'सरकार'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की सरकार।

(iv) **'राज्यपाल'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के राज्यपाल।

(v) **'सेवा का सदस्य'** से अभिप्रेत है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक कर्मी।

(vi) **'सेवा'** से अभिप्रेत है झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा।

(vii) **'सीधी नियुक्ति'** से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्ति।

(vii) **'विभागीय समिति'** से अभिप्रेत है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति।

3. झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा राज्य सेवा होगी। सेवा के सभी सदस्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहेंगे।

4. **(1)** सेवा का गठन, निम्नलिखित एवं पृथक् समूह/शाखा से होगा।

(अ) विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय

(क) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय, का सावधिक एकल पद, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापकों/राजकीय पोलिटेकनिक के प्राचार्यो/राजकीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों/अर्द्धसरकारी/उद्योग/केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार के उपक्रम के प्राध्यापक स्तर के कर्मियों में से भरा जाएगा।

(ख) संयुक्त निदेशक के सावधिक पद, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक के प्राचार्य में से भरे जायेंगे।

(ग) उप निदेशक के सावधिक पद राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सह प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक के विभागाध्यक्ष में से भरे जायेगे।

(घ) सहायक निदेशक के सावधिक पद राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक के वैसे व्याख्याताओं ज़िनकी सेवा अवधि 05 वर्ष की पूरी हो गयी हो में से भरे जायेंगे।

स्पष्टीकरण—विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय के अन्तर्गत दो एवं पृथक् उपसमूह का गठन होगा। उनमें से एक उपसमूह अभियंत्रण महाविद्यालयों, एवं दूसरा उपसमूह पोलिटेकनिक स्तर के संस्थानों, के प्रशासन हेतु होगा।

814

(आ) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय

(क) निदेशक/प्राचार्य

(वेतनमान ₹37400—₹67000 AGP ₹10000 तथा ₹3000 विशेष भत्ता)

(ख) प्राध्यापक

(वेतनमान ₹37400—₹67000 AGP ₹10000)

(ग) सह—प्राध्यापक

(वेतनमान ₹37400—₹67000 AGP ₹9000)

(घ) सहायक प्राध्यापक

(वेतनमान ₹15600—₹39100 AGP ₹6000)

(ङ.) कर्मशाला अधीक्षक

(वेतनमान ₹15600—₹39100 AGP ₹5400)

(इ) राजकीय पोलिटेकनिक

(क) प्राचार्य

(वेतनमान ₹37400—₹67000 AGP ₹10000 तथा ₹2000 विशेष भत्ता)

(ख) विभागाध्यक्ष

(वेतनमान ₹37400—₹67000 AGP ₹9000)

(ग) व्याख्याता

(वेतनमान ₹15600—₹39100 AGP ₹ 5400 B.E./B. Tech योग्यताधारी को)

(AGP ₹ 6000 तकनीकी क्षेत्र के स्नातकोत्तर डिग्री धारी को)

(घ) कर्मशाला अधीक्षक

(वेतनमान ₹15600—₹39100 AGP ₹5400)

(2) सेवा के किसी सदस्य को क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान किये बिना, प्रत्येक समूह/शाखा में पदों/सावधिक पदों की संख्या का निर्धारण सरकार करेगी, एवं सरकार अतिरिक्त, स्थायी या अस्थायी पदों/सावधिक पदों का सृजन कर सकती हैं, अथवा किसी पद/सावधिक पद को स्थगित अथवा खाली रख सकती है, अथवा किसी पद/सावधिक पद को सेवा से अपवर्जित कर सकती है।

<u>खण्ड—II भर्ती</u>

5. <u>भर्ती का स्रोत</u>—

झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा के सदस्यों की भर्ती निम्नलिखित रीति के अनुसार की जायेगीः—

813

(अ) विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय

(i) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय, का सावधिक एकल पद, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्त्ती द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापकों/राजकीय पोलिटेकनिक के प्राचार्यो/राजकीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों/अर्द्धसरकारी/उद्योग/केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार के उपक्रम के प्राध्यापक स्तर के कर्मियों में से भरा जाएगा।

(ii) संयुक्त निदेशक, इंजीनियरिंग/विज्ञान विषयों से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्य स्तर के कर्मियों में से विभागीय समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

(iii) उप निदेशक, इंजीनियरिंग या विज्ञान विषयों से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सह प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के विभागाध्यक्ष स्तर के कर्मियों में से विभागीय समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

(iv) सहायक निदेशक, इंजीनियरिंग/विज्ञान विषयों से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के व्याख्याता, जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो के कर्मियों में से विभागीय समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

(आ) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय

(i) निदेशक/प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, के पद को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(ii) प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(iii) कर्मशाला अधीक्षक के पद को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण–1: कर्मशाला अधीक्षक का पद सहायक प्राध्यापक के संवर्ग का होगा।

(इ) राजकीय पोलिटेकनिक

(i) प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, के पद को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(ii) विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता/कर्मशाला अधीक्षक के पद को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण : कर्मशाला अधीक्षक का पद व्याख्याता के संवर्ग का होगा।

6. प्रत्येक वर्ष, किसी समूह/शाखा के संवर्ग में रिक्तियाँ जिसे सीधी भर्ती एवं/अथवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, की संख्या के संबंध में सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(812)

खण्ड—III पात्रता का मानदंड

7. पात्रता का मानदंड—अर्हता एवं अनुभव

(अ) विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय

(i) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय, का सावधिक एकल पद, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापकों/राजकीय पोलिटेकनिक के प्राचार्यो/राजकीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों/अर्द्धसरकारी/उद्योग/केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार के उपक्रम के प्राध्यापक स्तर के कर्मियों में से भरा जाएगा। जिनकी विस्तृत योग्यता एवं अनुभव Annexure 'A' में अंकित है, जो विभागीय संकल्प संख्या 1218 दिनांक 23.08.2002 के आलोक में निर्धारित है।

(ii) संयुक्त निदेशक के सभी सावधिक पद जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापको या राजकीय पोलिटेकनिक के प्राचार्यों के बीच में से भरे जायेंगे के लिये, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE के विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'C' एवं Annexure 'F' में अंकित है।

(iii) उप निदेशक के सभी सावधिक पद जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सह प्राध्यापकों या राजकीय पोलिटेकनिक के विभागाध्यक्षों के बीच में से भरे जायेंगे, के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE के विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'D' एवं Annexure 'G' में अंकित है।

(iv) सहायक निदेशक के सभी सावधिक पद जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक या राजकीय पोलिटेकनिक के व्याख्याताओं, जो 05 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हों, के बीच में से भरे जायेंगे, के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE के विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'E' एवं Annexure 'H' में अंकित है।

(आ) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय

(i) निदेशक/प्राचार्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को, समय—समय पर अभियंत्रण महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'B' में अंकित है।

(ii) प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को, समय—समय पर अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'C', 'D' एवं 'E' में अंकित है।

(इ) राजकीय पोलिटेकनिक

(i) प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, के पद पर सीधी भर्ती हेतु, अभ्यर्थी को, समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'F' में अंकित है।

(ii) विभागाध्यक्ष पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को, समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'G' में अंकित है।

(iii) व्याख्याता के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को, समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए। जो वर्त्तमान में लागू AICTE विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'H' में अंकित है।

(iv) कार्यशाला अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को, समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव होने चाहिए जो वर्त्तमान में लागू AICTE विनियमन 2010 के अनुरूप Annexure 'H' में अंकित है।

स्पष्टीकरण :–

कंडिका 07 के **'अ'** के I, II, III, IV एवं **'आ'** के I, II तथा **'ई'** के I, II, III, IV में अंकित पदों के लिये जो योग्यताएं एवं अनुभव AICTE द्वारा समय–समय पर परिवर्तित किये जायेगें और जिसे विभाग अंगीकृत कर लेगा वह स्वतः इस नियमावली का भाग बन जायेगा।

8. प्रक्रिया

(1) सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती सरकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर करेगी। सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

(क) सरकार प्रत्येक वर्ष (कैलेन्डर वर्ष) की समाप्ति के पूर्व दूसरे आने वाले वर्ष के दौरान सीधी भर्ती हेतु 01 जनवरी को आधार मानते हुए भरी जाने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगी।

(ख) सरकार अगले 03 वर्षो की संभावित रिक्तियों की गणना कर अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेज सकती है।

(ग) सरकार आयोग से अधियाचना करेगी कि सीधी भर्ती हेतु अधिमान्यता के क्रम में अभ्यर्थियों की मेधा सूची की अनुशंसा करें।

810

(घ) आयोग ऐसी परीक्षा एवं/अथवा साक्षात्कार ले सकती है, जो आयोग के विचार में आवश्यक हो।

(ड.) आयोग द्वारा अनुशंसित सीधी भर्ती के लिए अधिमान्यता के क्रम में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची सरकार को आयोग प्रस्तुत करेगा।

(2) "किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियां भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियां अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जाएगी।"

(3) जिन पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति की जाती है, उन पदों को छोड़ कर शेष पदों पर विभागीय समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा तो विभागीय समिति तीन अभ्यर्थियों के नाम के पैनल की अनुशंसा करेगी और उनमें से किसी एक के चयन का अधिकार सरकार को होगा।

विभागीय समिति, विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सदस्य सचिव एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

9. आयु– सीधी भर्ती के लिए पदवार न्यूनतम आयु सीमा एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी:–

क्र0 सं0	पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
01.	कर्मशाला अधीक्षक (अभियंत्रण/ पोलिटेकनिक)	22 वर्ष	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 2096, दिनांक 25.04.2011 द्वारा यथा निर्धारित है एवं जो समय–समय पर निर्धारित की जाएगी, लागू होगी।
02.	व्याख्याता	22 वर्ष	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 2096, दिनांक 25.04.2011 द्वारा यथा निर्धारित है एवं जो समय–समय पर निर्धारित की जाएगी, लागू होगी।
03.	विभागाध्यक्ष	34 वर्ष	शिक्षको के सेवा निवृत्ति आयु के 05 वर्ष पूर्व यथा लागू होगी।
04.	प्राचार्य (पोलिटेकनिक)	40 वर्ष	शिक्षको के सेवा निवृत्ति आयु के 05 वर्ष पूर्व यथा लागू होगी।
05.	सहायक प्राध्यापक	24 वर्ष	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 2096, दिनांक 25.04.2011 द्वारा यथा निर्धारित है एवं जो समय–समय पर निर्धारित की जाएगी, लागू होगी।
06.	सह प्राध्यापक	34 वर्ष	शिक्षको के सेवा निवृत्ति आयु के 05 वर्ष पूर्व यथा लागू होगी।
07.	प्राध्यापक	40 वर्ष	शिक्षको के सेवा निवृत्ति आयु के 05 वर्ष पूर्व यथा लागू होगी।
08.	निदेशक/प्राचार्य (अभियंत्रण महाविद्यालय)	44 वर्ष	शिक्षको के सेवा निवृत्ति आयु के 05 वर्ष पूर्व यथा लागू होगी।
09.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी	50 वर्ष	वर्त्तमान में सेवा निवृत्ति की लागू आयु 60 वर्ष के 05 वर्ष पूर्व तक एवं समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिकतम सेवा निवृत्ति आयु जो भी निर्धारित की जाएगी वह लागू होगी।

टिप्पणी:–न्यूनतम आयु हेतु संदर्भ तिथि अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।

10. इस नियमावली के अन्तर्गत सेवा के किसी समूह/शाखा के संवर्ग में किसी पद/सावधिक पद के लिए पात्र सरकारी सेवक का आवेदन बिहार सरकारी सेवक पद हेतु आवेदन नियमावली, 1956 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के माध्यम से अग्रसारित होना चाहिए।

खण्ड—IV प्रोन्नति

11. **वृत्ति उन्नयन योजना** (CAS)

1. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान में पद धारण करने वाले सेवा के सदस्यों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित एवं सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का लाभ दिया जायेगा, बशर्ते कि वे CAS के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु शर्तों को पूरा करते हों।
2. A.I.C.T.E द्वारा अनुशंसित प्रोन्नति योजना का लाभ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले सदस्यों को, सरकार द्वारा अधिकथित रीति से, प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसम्बर माह में विभागीय प्रोन्नति समिति जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 1385, दिनांक 13.02.2014 के आलोक में अधिसूचित है, के अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी।
3. सरकार द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार AICTE द्वारा अनुशंसित योजना हेतु पात्रता का निर्धारण एवं चयन, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा।
4. AICTE द्वारा अनुशंसित योजना के तहत लाभ प्राप्त शिक्षकों का शिक्षण सम्पर्क अवधि वही रहेगी जो इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पूर्व उसके द्वारा धारित मूल पद की थी। वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शिक्षक का संवर्ग वही होगा जो AICTE योजना के अन्तर्गत लाभ दिए जाने के पूर्व था।
5. कैरियर संवर्धन योजना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद {तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैरियर उन्नति योजना} विनियम, 2012 के अनुरूप, लागू होगा। AICTE के विनियम 2012 में CAS के लिए जो शर्तें प्रावधानित है उसके संबंध में विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा, जो इस नियमावली का भाग होगा।

12. **आरक्षण**

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियाँ में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के उपबंध के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पक्ष में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। संवर्गीय एकल पद में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी।

खण्ड—V सेवा की शर्तें

13. **परिवीक्षा अवधि**

(क) सेवा में रिक्त अधिष्ठायी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियाँ परीक्ष्यमान पद पर होंगी। परीक्ष्यमान अवधि पद पर योगदान की तिथि से दो वर्षों तक रहेगी।

(ख) यदि किसी पदाधिकारी के कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतोषजनक नहीं पाए गए, अथवा असमभाव्य हो कि वे अपनी कार्य दक्षता प्रमाणित कर सकें तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

(ग) सेवा के किसी पद पर बिताई गई अवधि, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की स्थानापन्न अथवा अस्थायी नियुक्ति की गई है, उसकी गणना उस पद पर इस नियम के अधीन विहित परिवीक्षा अवधि के लिए करने की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकती है।

(घ) सेवा के परिवीक्षा अवधि के सफल एवं संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात् ही सेवा सम्पुष्ट की जाएगी।

14. वरीयता

निदेशक/प्राचार्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अथवा प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक के पद पर जिन सदस्यों की सीधी नियुक्ति हुई है, उन सदस्यों के पदक्रम सूची अथवा सेवा के प्रत्येक समूह/शाखा के प्रत्येक संवर्ग के सदस्यों की परस्पर वरीयता नियम 8 के उप–नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन तैयार की गई अधिमान्यता सूची में दृष्टिगोचर नामों के क्रमानुसार होगी।

15. पदक्रम सूची

निदेशक/प्राचार्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक के पदों की पदक्रम सूची एवं सेवा के विभिन्न समूहों/शाखाओं के सदस्यों की पदक्रम सूची प्रत्येक वर्ष संवर्गवार प्रकाशित की जायेगी, जिसमें उनकी आपसी वरीयता, जन्म तिथि, एवं नियुक्ति की तिथि आदि को दर्शाया जाएगा।

16. अनुशासनिक कार्रवाई

सेवा के प्रत्येक सदस्य, सार्वजनिक सेवा में, उच्च प्रतिष्ठित अनुशासन और आचार बनाए रखेंगे; तथा समय–समय पर यथा संशोधित झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2001 के सामान्य उपबंधों तथा असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 एवं बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1935 के अधीन रहेंगे।

17. सेवा के सदस्यों की पदावधि

(1) इस नियमावली द्वारा की गई व्यवस्था के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य की पदावधि, उसके सावधिक पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष तक होगी और आवश्यकतानुसार इसे अगले अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा सेवा वार्द्धक्य, की आयु पूरा करने तक, जो भी पहले हो वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु सेवा का कोई सदस्य अपने सावधिक पद को यदि रिक्त कर देता है, तो वह सेवा के किसी अन्य सावधिक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

18. सेवा वार्द्धक्य की आयु सीमा

सावधिक पद के अलावा, किसी अन्य पद के पदधारी की सेवा वार्धक्य आयु वही होगी जो, समय समय पर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित विनियम के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। परंतु तकनीकी सेवा नियमावली से जो आच्छादित नहीं है अगर वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाते है तो उनकी अधिकतम आयु सीमा 60 वर्षो की होगी।

18 (A). परीक्षा, पाठ्यक्रम एवं अन्तर्वीक्षा

I. इस हेतु एक नई अनुसूची – 'I' जोड़ा गया है। राज्य सरकार यदि आवश्यक हो तो, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उसमें संशोधन कर सकेगी। परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा।

II. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13026, दिनांक 27.11.2012 के आलोक में निम्नवत होगा :–

सामान्य वर्ग	–	40%
पिछड़ा वर्ग	–	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर 1	–	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	–	32%

III.

	अन्तर्वीक्षा –	विषय विशेषज्ञ
a.	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक तथा राजकीय पोलिटेकनिक में व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष के लिए	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के विशिष्ट अभियंत्रण महाविद्यालय/अभियंत्रण के डिम्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक स्तर
b.	अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए निदेशक/प्राचार्य, प्राध्यापक तथा पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्य हेतु –	विशिष्ट प्राध्यापक (जिनका AGP 12000 हो) तथा विभिन्न IIT संस्थानों/NIT संस्थानों के निदेशक मान्य होंगे।

19. अतिरिक्त व्यवस्थाएँ

इस नियमावली द्वारा की गई व्यवस्था के सिवाय, वेतन, भत्ता, छुट्टियाँ, पेंशन, अनुशासन एवं सेवा के अन्य शर्तों से संबंधित सभी मामले सरकार द्वारा, तत्समय प्रवृत्त सामान्य या विशेष नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

खण्ड–VII विविध

20. कठिनाई को दूर करना

इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में उत्पन्न किसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।

21. निर्वचन

इन नियमों के निर्वचन में यदि कोई कठिनाई हो तो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इसका निराकरण कर सकेगा।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति

इस नियमावली के प्रारंभ होने से ठीक पहले, प्रवृत्त तत्संबंधी अन्य आदेशों अथवा नियमों का स्वतः निरसन हो जाएगा। किन्तु, उक्त निरसन के बावजूद पहले के आदेशों अथवा नियमों के तहत किये गए कार्य इस नियमावली के तहत किये हुए समझें जायेंगे, मानों उस तिथि को यह नियमावली लागू थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह) 16/10/17

सरकार के सचिव

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(806)

Annexure "A"

REQUIRED QUALIFICATION FOR DIRECTOR
DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1. REQUIRED MINIMUM QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR THE CANDIDATE BELONGING TO DIRECTOR/PRINCIPAL/PROFESSOR OF GOVT. ENGINEERING COLLEGES OR POLYTECHNIC

CADRE	QUALIFICATION	EXPERIENCE
Director Science & Technology Department.	Ph.D Degree (with first class Degree at Bachelors or Master's Level) in Engineering/Technology. In addition the candidate should be an eminent person in the Field.	15 years experience in Teaching/ Industry/Research out of which 05 years must be at the level of Professor/Principal, or above in Engineering/Technology

2. REQUIRED MINIMUM QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR THE CANDIDATE BELONGING TO Semi Govt./Industry/Govt. UNDERTAKING OF JHARKHAND STATE GOVT./CENTRAL GOVT.

Candidate from Industry/Profession with master Degree in Engineering/Technology and with Professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with 15 years experience of which at least 5 years should be at a senior level comparable to that of a professor/Principal would also be eligible. desirable-Administrative experience in a responsible position.

16/01/13
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

Annexure 'B'

योग्यता एवं अनुभव अभियंत्रण महाविद्यालयों के निदेशक/प्राचार्य हेतु

संवर्ग	अर्हता	अनुभव
निदेशक/ प्राचार्य	प्राध्यापक के पद के लिए यथा लागू, पोस्ट पीएच0डी0 प्रकाशन तथा पीएचडी0 छात्रो को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 03 वर्ष प्राध्यापक के स्तर का होना चाहिए, अथवा शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटो के रिकार्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो प्राध्यापक के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी विश्लेषण, गणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध–पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटो, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाय। प्रबंधन और नेतृत्व के लिए अभिरूचि अनिवार्य है। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यवसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

16/10/17

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

804

Annexure 'C'

योग्यता एवं अनुभव अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राध्यापक हेतु

संवर्ग	अर्हता	अनुभव
प्राध्यापक सभी विषयों के लिये	सह प्राध्यापक के पद के लिए लागू पोस्ट पीएच0डी0 प्रकाशन तथा पीएच0डी0 छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव सह प्राध्यापक स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र, प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों के रिकार्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो सह प्राध्यापक के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटो, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाय। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 05 वर्ष के व्यवसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(803)

Annexure 'D'

योग्यता एवं अनुभव अभियंत्रण महाविद्यालयों के सह प्राध्यापक हेतु

अभियंत्रण

संवर्ग	अर्हता	अनुभव
सह प्राध्यापक सभी विषयों के लिये	सहायक प्राध्यापक के पद के लिए Annexure 'E" के अनुसार अर्हताएं यथा लागू तथा उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएचडी अथवा समकक्ष पोस्ट पीएच0डी प्रकाशन तथा पीएच0डी0 छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएच0डी0 अनुभव वांछनीय है। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 05 वर्ष के व्यवसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

16/11/10

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(802)

Annexure 'E'

योग्यता एवं अनुभव अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक हेतु

अभियंत्रण

विषय	संवर्ग	अर्हता	अनुभव
इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी	सहायक प्राध्यापक	प्रासंगिक शाखा में बीई / बीटेक और एमई / एमटेक जिसमें बी0ई / बीटेक अथवा एमई / एमटेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	
एमसीए	सहायक प्राध्यापक	प्रासंगिक शाखा में बीई / बीटेक और एम ई / एमटेक जिसमें बी0ई / बी0टेक अथवा एमई / एमटेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो। अथवा बी0ई / बी0टेक और एम0सी0ए0 जिसमें बी0ई / बी0टेक अथवा एमसीए0 में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा सकमक्ष हो। अथवा एम0सी0ए0 में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव	
प्रबंधन	सहायक प्राध्यापक	प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ व्यवसाय प्रशासन में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष और दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव वांछनीय है।	
भेषजी	सहायक प्राध्यापक	भेषजी में स्नातक और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात डिग्री में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो	
एचएमसीटी	सहायक प्राध्यापक	स्नातक में प्रथम श्रेणी (10+2) के बाद एचएमसीटी में 03 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा) अथवा समकक्ष और होटल प्रबंधण एवं खान--पान प्रौद्योगिकी में निष्णात डिग्री (जिसमे स्नातक अथवा निष्णात डिग्री में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो) अथवा 08 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा प्रथम श्रेणी में 04 वर्षीय स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष और होटल प्रबंधन एवं खान--पान प्रौद्योगिकी में निष्णात डिग्री (जिसमें स्नातक अथवा निष्णात डिग्री में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो) अथवा 07 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।	
वास्तुकला	सहायक प्राध्यापक	वास्तुकला में स्नातक और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात डिग्री में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	
नगर आयोजना	सहायक प्राध्यापक	नगर आयोजना में स्नातक और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात डिग्री में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	
ललित कला	सहायक प्राध्यापक	ललित कला की उपयुक्त शाखा (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला ओर मूर्तिकला) में स्नातक और निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात डिग्री में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	

टिप्पणीः—

1. पी0एच0डी0 की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
2. पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
3. सहायक प्राध्यापक के पदधारी के लिए, सहायक प्राध्यापक के स्तर पर अनुभव पर सह प्राध्यापक के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जाएगा, बशर्त्ते कि पदधारी सहायक प्राध्यापक ने प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी0एच0डी0 डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल करता है।
4. डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव पर डिग्री संस्थाओं में अनुभव के समकक्ष उपयुक्त स्तर पर तथा यथा लागू अनुसार भी विचार किया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त अर्हताए अनिवार्य होगी।
5. यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के सकमक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है। तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंको में संपरिवर्तित किया जाएगाः—

ग्रेड प्वाइंट	**समकक्ष प्रतिशत**
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

16/08/17

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

800

Annexure 'F'

योग्यता एवं अनुभव डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के प्राचार्य हेतु

संवर्ग	अर्हता	अनुभव
प्राचार्य	विभाग अध्यक्ष के पद के लिये Annexure 'G' के अनुसार योग्यता और इंज़ीनियरिंग में पीएच0डी0 अथवा विभागाध्यक्ष के पद के लिये Annexure 'G' के अनुसार योग्यता	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 03 वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के स्तर पर होना चाहिए। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

6/10/11

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(799)

Annexure 'G'

योग्यता एवं अनुभव डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के विभागाध्यक्ष हेतु

विषय	संवर्ग	अर्हता	अनुभव
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	विभागाध्यक्ष	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो। अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात मे से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के उपर्युक्त विषय क्षेत्र में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
भेषजी		भेषजी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो अथवा भेषजी में स्नातक डिग्री और. निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो और भेषजी में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी)		एचएमसीटी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो अथवा एचएमसीटी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो और एचएमसीटी में अथवा समकक्ष में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
वास्तुकला		वास्तुकला में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो अथवा वास्तुकला में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा सकमक्ष हो और वास्तुकला में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा। शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 05 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

16/10/19

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

७१४

Annexure 'H'

योग्यता एवं अनुभव डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक हेतु

विषय	संवर्ग	अर्हता	अनुभव
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की प्रासंगिक शाखा में प्रथम श्रेणी अथवा सकमक्ष स्नातक डिग्री। यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में निष्णात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
भेषजी	व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक	भेषजी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री। यदि उम्मीदवार के पास भेषजी में निष्णात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा सकमक्ष अपेक्षित है।	
होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रोद्योगिकी (एचएमसीटी)	व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक	एचएमसीटी में 4 वर्ष की प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा स्नातक में प्रथम श्रेणी (10+2 के पश्चात एचएमटीसी में 03 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा) अथवा सकमक्ष	शिक्षण/उद्योग/शोध में 01 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा शिक्षण/उद्योग/शोध/में 02 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
वास्तुकला	व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक	वास्तुकला में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री यदि उम्मीदवार के पास वास्तुकला में निष्णात डिग्री है, तो स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
ललित कला	व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक	ललित कला की उपयुक्त शाखा (अनुप्रर्युक्त कला, चित्रकला और मूर्तिकला) में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष यदि उम्मीदवार के पास ललित कला (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला और मूर्तिकला) में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष है, तो स्नातक अथवा निष्णत स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
मानविकी एवं विज्ञान	व्याख्याता/कार्यशाला (Work Shop) अधीक्षक	उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	

792

टिप्पणीः—

पी0एच0डी0 की समकक्षता 05 अन्तरराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।

पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

सीधे अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध—पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटी के रिकार्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटो, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए प्रबंधन और नेतृत्त्व के लिए अभिरूचि अनिवार्य है, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वांइट सिस्टम अपनाया गया है, तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंको के संपरिवर्तित किया जाएगा।

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

16/12/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

Annexure - I

झारखण्ड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विभिन्न मदों में दिये जाने वाले Weightage अंको के बंटवारे सहित एवं संभावित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का भी व्यौरा निम्न प्रकार है:–

Distribution of Points for the mentioned segments for Direct Recruitment

Post	Academic Record & Research Performance (Total 30 marks)	Evaluation of Domain Knowledge Total 50 marks	Interview (20 marks)
Assistant Professor in Engineering Colleges	a) BE/BTech / MA / M Sc in relevant branch / subject 10 % of percentage marks obtained b) ME / MTech / MPhil in relevant branch / subject 05 % of percentage marks obtained c) Ph.D in relevant branch / subject 05 d) Research Publication / Seminar Presentation – 5 marks (Maximum), *Referred Journals – 1 marks Per Publications, *Non-referred but recognized and reputable journals and periodicals with ISBN/ISSN Number–0.75 marks /Publication, *Seminar/Conference proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included) International: 1/Publication, National : 0.75/Publication) E)Work Experience Max 05 (Teaching / Industrial Experience on a post whose entry level qualification is BE / ME / MA / MSc - 01 point per year maximum upto 05 points.)	**For Engineering Subject** B.E / B.Tech. and M.E / M.Tech. in relevant branch with First Class or Equivalent either in B.E / B.Tech. or M.E / M.Tech with valid GATE score card. The marks / score may be converted to 50 marks. **For Humanities and Science Subjects** (1) Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or and equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university. (2) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. (3) Notwithstanding anything contained in sub clauses (1) and (2) candidates, who are Ph.D. or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University grants Commission (Minimum Standard and Procedure for award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET.	

		Written test to be conducted by Commission In case if Commission does not receive sufficient numbers (3 times the vacancies) of application forms who have valid GATE/NET/SLET/SET (as applicable) scores then commission will conduct a written examination for the candidates who have applied for the posts. The syllabus for written test will be that of prevailing GATE syllabus for that year for Engineering subjects and for subjects which are not covered in GATE the Syllabus of CSIR – UGC for NET examination for the prevailing year. The Test to be conducted will be of objective type having 100 questions. The duration of test will be two hours and evaluation will be done in 50 marks which will be indicative of marks of Evaluation of Domain Knowledge.	
Lecturer in Polytechnics	a) BE/BTech / MA / M Sc in relevant branch / subject 15 % of percentage marks obtained b) ME / M.Tech / M.Phil in relevant branch / subject 05 % of percentage marks obtained c) Ph.D in relevant branch / subject 05 d)Work Experience Max 05 (01 per full year on full time experience as Lecturer or eqvt / Executive in PSU / Executive Grade in Private Industry on a post whose entry qualification is BE / ME / MA / MSc)	**For Engineering Subject** B.E / B.Tech. in relevant branch with First Class or Equivalent with valid GATE sore card whose marks / score will be converted to 50 marks. **For Humanities and Science Subjects** (1) Good academic record is defined as have been to declared to pass the examination in First class or in case n class is awarded then has secured at least 60% marks (or and equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university. (2) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. (3) Notwithstanding anything contained in sub clauses (1) and (2) candidates, who are Ph.D. or	

		have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University grants Commission (Minimum Standard and Procedure for award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET /SET. **<u>Written test to be conducted by Commission</u>** In case if Commission does not receive sufficient numbers (3 times the vacancies) of application forms who have valid GATE/NET/SLET/SET (as applicable) scores then commission will conduct a written examination for the candidates who have applied for the posts. The syllabus for written test will be that of prevailing GATE syllabus for that year for Engineering subjects and for subjects which are not covered in GATE the Syllabus of CSIR – UGC for NET examination for the prevailing year. The Test to be conducted will be of objective type having 100 questions. The duration of test will be two hours and evaluation will be done in 50 marks which will be indicative of marks of Evaluation of Domain Knowledge.	

Distribution of Points for the mentioned segments for Direct Recruitment

Sl	Posts	Domain of Considerations with percentage representation for weight age			
		Associate Professor (Engineering College) / Head of Department (Polytechnics)			
2	Associate Professor (Engg College) / Head of Dept (Polytechnic)	Academic Records and Research Performance (20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and teaching Skills (20%)	Interview performance (20%)
		BE/BTech/MA /MSc : 10 1 for every 2 % after 60% (MA / MSc for Humanities and Science) ME/MTech/ MPhil : 5 0.5 for every 2 % after 60% (MPhil for Humanities and Science) PhD : 5	Research Guidance : Max 5 (Points per scholar / group) PhD -2.5 / ME-1 / BE 0.5 / Dip – 0.25)	STTP / Wksp / Meets participation Max 5 For 2 week 1 each For 1 week 0.5 each For 2 days 0.25 each	
			Research / Book Pub Max 10 Int.Referred Journals with ISSN No - 2 / Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number- 1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author – 1/Chapter In edited books – 0.5/Chapter Subject Books by National / State level publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers – By sole author – 0.5/Chapter In edited books – 0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Number – By sole author – 0.5/Chapter In edited books – 0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) – 1/Chapter Chapters in knowledge based volumes published by Indian/ National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories 0.5/Chapter	Papers in Conference etc Max 5 Int. Con with full paper publication 2 each National Con full paper publication 1 each State Con full paper publication 0.5 each	
			Projects Max 5 Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project – 5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Project – 4 Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project – 2	Membership Professional Bodies Max 3 International bodies 1 National bodies 0.5	
			Patents / Policy documents Max 5 Minor policy document of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/ Process for Each Output/Patent of National level 2.5 per	Membership of Board of Studies (inhouse) Max 2 University / SBTE 1 College / Inst 0.5	
			Consultancy Max 5 Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received – 5 Major consultancy for. 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received t – 4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh) payment received – 2	Membership of Board of Studies (outside) Max 2 Other Univ / Board 1 Other College / Inst 0.5	

			Invited/ Keynote Address in Conference / Seminar / Symposia Max 5 International 2.5 National 1.0 State Level 0.5	Membership of Editorial / Reviewer Panel of Journals Max 3 International Journals 1 National Journals 0.5	
			Awards / Facilitations / Distinctions Max 5 Padma / Fellowship/ Award of International Repute level 5 Fellowship / Facilitation at state level 2.5		
			Professor (Engineering College) / Principal (Polytechnic)		
3	Professor (Engg College) / Principal (Polytechnic)	Academic Records and Research Performance (20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and teaching Skills (20%)	Interview performance (20%)
		BE/BTech/MA /MSc : 10 1 for every 2 % after 60% (MA / MSc for Humanities and Science) ME/MTech/ MPhil : 5 0.5 for every 2 % after 60% (MPhil for Humanities and Science) PhD : 5	Research Guidance : Max 5 Points per scholar / group) PhD -2.5 / ME-1 / BE 0.5 / Dip – 0.25)	STTP / Wksp / Meets participation Max 5 For 2 week 1 each For 1 week 0.5 each For 2 days 0.25 each	
			Research / Book Pub Max 10 Int Referred Journals with ISSN No - 2 / Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number- 1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author – 1/Chapter In edited books – 0.5/Chapter Subject Books by National / State level publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers – By sole author – 0.5/Chapter In edited books – 0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Number – By sole author – 0.5/Chapter In edited books – 0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) – 1/Chapter Chapters in knowledge based volumes published by Indian/ National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories – 0.5/Chapter	Papers in Conference etc Max 5 Int. Con with full paper publication 2 each National Con full paper publication 1 each State Con full paper publication 0.5 each	
			Projects Max 5 Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project – 5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Project – 4 Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project – 2	Membership Professional Bodies Max 3 International bodies 1 National bodies 0.5	
			Patents / Policy documents Max 5 Minor policy document of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process for Each Output/Patent of National level 2.5 per	Membership of Board of Studies (inhouse) Max 2 University / SBTE 1 College / Inst 0.5	

			Consultancy Max 5 Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received – 5 Major consultancy for. 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received t – 4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh) payment received – 2	Membership of Board of Studies (outside) Max 2 Other Univ / Board 1 Other College / Inst 0.5	
			Invited/ Keynote Address in Conference / Seminar / Symposia Max 5 International 2.5 National 1.0 State Level 0.5	Membership of Editorial / Reviewer Panel of Journals Max 3 International Journals 1 National Journals 0.5	
			Awards / Facilitations / Distinctions Max 5 Padma / Fellowship/ A ward of International Repute level -5 Fellowship / Facilitation at state level 2.5		

16/10/15
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः– वि0प्रा0मु0स्था0–12/09 2535 /रांची, दिनांकः– 16.10.15
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रित नियमावली की 100 प्रतियां उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

2. अवर सचिव ई–गजट को सूचनार्थ एवं ई–गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0मु0स्था0–12/09 2535 /रांची, दिनांकः– 16.10.15
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभागीय, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0मु0स्था0–12/09 2535 /रांची, दिनांकः– 15.10.15
प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0मु0स्था0–12/09 2535 /रांची, दिनांकः– 16.10.15
प्रतिलिपिः–निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव